कानून को मानवीय बनाना: भारतीय वन अधिनियम का मसौदा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 अप्रैल, 2019

"भारतीय वन अधिनियम के मसौदे को नौकरशाही की अतिशयता से मुक्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाना चाहिए।"

औपनिवेशिक युग के कानूनों का आधुनिकीकरण एक लंबे समय से विलंबित परियोजना है, लेकिन भारतीय वन अधिनियम, 2019 का मसौदा कानून के सन्दर्भ में काफी कमजोर है। मूल कानून, भारतीय वन अधिनियम, 1927 एक असंगत अवशेष है, इसके प्रावधानों को औपनिवेशिक सत्ता के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिनका निर्माण वनों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अधिनियमित एक नया कानून भारत के जंगलों का विस्तार करने के लिए होना चाहिए और इसके इन परिदृश्यों में पारंपरिक वन-निवासियों और जैव विविधता की भलाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

जरूरत एक ऐसे प्रतिमान की है जो समुदाय के नेतृत्व वाले, वैज्ञानिक रूप से मान्य संरक्षण को प्रोत्साहित करे। यह महत्वपूर्ण है, जहाँ भारत के केवल 2.99% भौगोलिक क्षेत्र को बहुत घने जंगल के रूप में वर्गीकृत किया गया है; स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2017 के अनुसार, कुल 21.54% के हरे आवरण को लगभग खुले और मामूली घने जंगल में विभाजित किया गया है।

मसौदा विधेयक जंगलों के नौकरशाही नियंत्रण के विचार को पुष्ट करता है, जो किसी अपराध को रोकने के लिए कर्मियों द्वारा आग्नेयास्त्रों के उपयोग जैसे कार्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कठोर पुलिसिंग दृष्टिकोण में अभियुक्तों को हिरासत में लेने तथा परिवहन करने के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने और व्यक्तियों को अपराधों के लिए जंगलों तक पहुँच से वंचित करने के लिए समस्त समुदाय को दंडित करने पर जोर दिया गया है। इस तरह के प्रावधान हमेशा गरीब निवासियों को प्रभावित करते हैं।

भारत के वन न केवल आदिवासियों और अन्य पारंपरिक निवासियों के जीवन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उपमहाद्वीप में जलवायु और मानसून पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए, किसी भी नए वन कानून का उद्देश्य संघर्षों को कम करना, आदिवासियों को प्रोत्साहित करना और गैर-वन उपयोगों को रोकना है। यह जंगलों के रूप में सभी उपयुक्त परिदृश्यों को पहचानने और उन्हें वाणिज्यिक शोषण से बचाने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

इस तरह के दृष्टिकोण के लिए एक ओर समुदायों के साथ साझेदारी की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर वैज्ञानिकों की। अब दशकों से, वन विभाग ने वन स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण परिणामों के स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन का विरोध किया है। समानांतर में, पर्यावरण नीति ने खनन और बड़े बाँध निर्माण जैसी विनाशकारी गतिविधियों के लिए जंगलों की कटाई की सार्वजनिक जाँच को कमजोर बना दिया है। इसके अलावा, प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के ज्यादातर फैसले और सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया भी कमजोर बन गई है। जब एक नई सरकार कार्यभार संभालेगी, तो उसे पूरे मुद्दे पर फिर से विचार करना चाहिए।

सरकार को परामर्श की एक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि सभी राज्यों द्वारा एक प्रगतिशील कानून अपनाया जाए, जिसमें मौजूदा अधिनियम के अपने संस्करण भी शामिल हैं। केंद्र को स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों और समुदायों की आवाज सुननी चाहिए।

GS World टीम...

भारतीय वन अधिनियम, 1927

चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के पहले व्यापक संशोधन मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है।
- 123 पेजों का यह मसौदा उन अहम मुद्दों को परिभाषित करता है जो मूल कानून में गायब हैं।
- यह मसौदा मंत्रालय द्वारा गठित एक कोर समिति के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है। इस मामले में वन महानिरीक्षक (वन नीति) नोयल थॉमस ने 7 मार्च को सभी राज्यों को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी थी।
- सभी राज्यों को अपने सभी हितधारकों जैसे गैर लाभकारी संगठन और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ परामर्श करना है और 7 जून तक मंत्रालय को प्रतिक्रियाएं भेजनी हैं।

क्या है?

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत सरकार और वन विभाग को वनों के किसी भी क्षेत्र को रक्षित (Reserved) व संरक्षित करने के लिये अधिसूचित करने का अधिकार है।
- इसी कानून के तहत रक्षित वनों को छोड़कर राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को संरक्षित वन (Protected Forests) घोषित कर सकती है।
- इन वनों के संसाधनों का इस्तेमाल राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है और जो वन ग्रामीण समुदाय के नियंत्रण में हैं, उन्हें इस कानून के तहत ग्राम वन (Village Forest) माना गया है। वनों के संरक्षण को लेकर 1980 तक वन अधिनयम, 1927 ही चलन में था, लेकिन जब वनों की अंधाधुंध कटान होने लगी, तब वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का मसौदा तैयार हुआ।
- लेकिन 2005 तक यह मसौदा संसद में पेश नहीं हो सका। बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया तथा मई, 2006 में समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस अधिनियम में अनेक संशोधन कर दिसंबर, 2006 में इसे 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)' कानून नाम से पारित किया गया। 1 जनवरी, 2008 से यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू हो गया।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकती है।
2. इसके तहत् सरकार और वन विभाग को वनों के किसी भी क्षेत्र को रक्षित व संरक्षित करने के लिए अधिसूचित करने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q. In the context of 'Indian Forest Act, 1927', consider the following statements:-

1. Under this Act, the State Government can declare any forest land as protected forest.
2. In addition to this, the Government and the Forest Department have the right to notify any area of forests to be protected and preserved.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों की चर्चा करते हुए इसमें सुधार करने के लिए किन बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Discussing the provisions of the Indian Forest Act, 1927, what points sould be focused to improve it? Analyse.

(250Words)

नोट : 19 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।